सं. आरईसी/आईटी/93/2008/ दिनांक: 28.7.2009

सेवा में,
मैसर्ज पीसीएस टेक्नोलोजी लिमिटेड,
मैसर्ज एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड,
मैसर्ज मिलेनियम ऑटोमेशन एंड सिस्टम लिमिटेड,
मैसर्ज पीसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,
मैसर्ज कॉलसॉफ्ट,
मैसर्ज एरोसिस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

**विषय:- एप्पल डेस्कटॉप और लैपटॉप की खरीद के लिए कोटेशन हेतु अनुरोध**

महोदय,

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि., (भारत सरकार का उद्यम), एप्पल डेस्कटॉप एवं लैपटॉप खरीदना चाहता है। एतदद्वारा आपसे अनुरोध है कि सर्वोत्तम दरें , जैसा सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं, निम्नलिखित प्ररूप में हमें भिजवाए :-

| क्रम सं. | मद | मात्रा | यूनिट दर (रू. में) | कर (रू. में) | कर को मिलाकर कुल मूल्य (रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24" डेस्कटॉप इमैक 2.93 जीएच इनटेल कोर 2 डियू, 4 जीबी रैम, 640 जीबी एचडीडी, 8 एक्स डबल लेयर सुपर ड्राइव, एनवीआईडीआईए 256 एमबी मैमोरी सहित<br>वारंटी: एक वर्ष ऑनसाइट | 1 | | | |
| 2. | लैपटॉप मैक बुक प्रो 15 इंच 2.8 जीएच इटेल कोर 2 डियू, 4 जीबी रैम, 500 जीबी एचडीडी, एसडी कार्ड स्लॉट, 7 घंटे बैटरी, एनवीआईडीआईए 512 एमबी सहित<br>वारंटी: एक वर्ष ऑनसाइट | 1 | | | |
| | | | | कुल जोड़ | |

- मुहरबंद लिफाफे 12.8.2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक आईटी प्रभाग, प्रथम तल, आरईसी लि., कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,7, लोदी रोड, नई दिल्ली में पहुंच जाने चाहिए।
- न्यूनतम दर बोलीदाता, कुल जोड़ का हिसाब लगाकर आएंगे।
- उपर्युक्त मात्रा अनुमानित है और कार्यनिष्पादित करते समय वास्तविक अपेक्षा के आधार पर घटबढ़ सकती हैं। भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
- विक्रेताओं से सभी मदों के लिए दरे देनी जरूरी है।
- आरईसीएल का निर्णय अंतिम होगा और आर्डर देने के लिए बोलीकर्ता पर आबद्धकर होगा।

**शर्तें:**

- **सुपुर्दगी की शर्त:** क्रय आदेश जारी किए जाने के 1सप्ताह के अंदर,
- **अदायगी की शर्तें:**

- क्रय आदेश में उल्लिखित गंतव्य स्थान/स्थल पर सफलतापूर्वक सुपुर्दगी करने तथा संस्थापित करने और चालू करने पर 80 प्रतिशत अदायगी।
- संस्थापन के स्थान पर सफल कार्य-निष्पादन के एक माह बाद शेष 20 प्रतिशत की अदायगी। इस एक माह की अवधि में यह आवश्यक है कि अंतिम प्रयोक्ता को कार्य-निष्पादन के बारे में कोई शिकायत न हो/संस्थापित प्रणालियों में कमी न पाई जाए। क्रय आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करना, जो वारंटी के बाद 3 महीने की अवधि तक विधिमान्य हो।

- विलंब के लिए दंडः

  क. संविदा में समय महत्वपूर्ण होता है। सफल बोलीदाताओं को चाहिए कि वे क्रय आदेश सौंपे जाने के 6 सप्ताह के अंदर सभी उपस्करों की आपूर्ति करे, उन्हें संस्थापित करे, उनका परीक्षण करे और उन्हें चालू करे। नियत तारीख को या उससे पहले सभी या कुछ उपस्कर (उपस्करों) की आपूर्ति न करने या उन्हें चालू न करने पर प्रति सप्ताह संविदा पैकेज कीमत के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिशतता दंड लगाया जाएगा, जो कुल संविदा मूल्य के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक होगा। लिक्विडेटिड क्षति की अदायगी के कारण सफल बोलीदाताओं के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

  ख. यदि निर्धारित समय-सीमा के 10 दिन बाद तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आरईसी को अधिकार है कि वह इस आदेश को रद्द कर देगा।

भवदीय,

ह./-

पी.के. मुखोपाध्याय

उप महाप्रबंधक (आईटी/ईआरपी)